जानते नहीं थे कि मैं एक संसद सदस्य हूं। उन्हें बाद में पता चला, मैंने भी उसमें सिगनेचर किया। 10 दिसम्बर, 2004 को आपत्ति-पुस्तिका में, आब्जेक्शन रजिस्टर में, जो लिखा गया है, इस सदन के एक सदस्य ने उसमें साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किया है, उसके ऊपर क्या कार्यवाही हुई है, यह मैं जानना चाहता हूं? ये बहुत-सी छोटी-छोटी बातें हैं। मैं यह बात अपने लिए नहीं कह रहा हूं, यह मैं पैसेन्जर्स के लिए कह रहा हूं। जो प्राईवेट कांट्रेक्टर के खिलाफ जो शिकायत थी, उस पर भी ध्यान दीजिए। .....(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: मंत्री जी, उसे देखेंगे।

श्री रूद्रनारायण पाणि: मंत्री जी, आम पैसेंजर्स को जो परेशानियां होती हैं, जो प्राब्लम होती हैं, उनके प्रति आप थोड़ा ध्यान दीजिये।

दूसरी बात यह है कि मैं उड़ीसा से आता हूं और उड़िया लोगों के लिए बोलता हूं। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में चिरमिरी नाम का एक कोयला क्षेत्र है। चिरमिरी कोयला क्षेत्र में लगभग 50 हजार उड़िया लोग रहते हैं। बहुत कष्ट सहन करके, वे लोग अनुपपुर स्टेशन से आकर के ट्रेन पकड़ते हैं। हम कई सालों से चिरमिरी कोयला क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों के लिए मांग करते आये हैं कि उनके लिए कम से कम दो बोगी चिरमिरी से अनुपपुर लाई ज़ाएं। यानी, अनुपपुर से उड़ीसा वाली ट्रेन में उन बोगियों को अटैच किया जाये। इसलिए छत्तीसगढ़ में जिस कोयला खदान में उड़िया मजदूर वर्षों से काम करते हैं, उनकी भलाई के लिए कम से कम दो कोच, दो बोगी अनुपपूर में शंटिंग की जायें। अगर इतनी कृपा रेल मंत्री जी करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The general discussion on the Railway Budget is over. The hon. Minister for Railways will reply to the debate tomorrrow after the Question Hour.

Now, we will take up the next item, *i.e.*, Statement by Minister. Shri Kantilal Bhuria to make a statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the Second Report of the Parliamentary Standing Committee on Agriculture.

STATEMENT BY MINISTER

Status of Implementation of second report of Parliamentary Standing Committee on Agriculture

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): महोदय, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 को राज्य सभा बुलेटिन भाग-II में जारी राज्य सभा की क्रियाविधि नियमावली और कार्य-संचालन नियमावली के नियम-266 के प्रावधानों के अनुसरण में माननीय सभापति, राज्य सभा के निर्देश

पर कृषि पर स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं। कृषि पर स्थायी समिति ने वर्ष 2004-2005 के लिए कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों की जांच की तथा दिनांक 17 अगस्त, 2004 को लोक सभा में इस संबंध में अपनी द्वितीय रिपोर्ट तथा इसी रिपोर्ट को 17 अगस्त, 2004 को ही राज्य सभा में भी प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में ग्यारह सिफारिशें हैं। कथित समिति की ये सिफारिशें मुख्यत: डेयर के आवंटन को बढ़ाकर कृषि पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1 प्रतिशत करने की आवश्यकता, डेयर/भा०कृ०अ०प० के लिए अपर्याप्त 10वीं योजना का सार्वजनिक वित्त पोषण, 2004-05 में डेयर को अपर्याप्त आवंटन, एक मुश्त कैचअप अनुदान, बजट प्रक्रिया में सुधारात्मक परिवर्तन की आवश्यकता, भा०कृ०अ०प० में सभी पदों को भरने की तुरंत आवश्यकता, एस० एफ० सी०/ई० एफ० सी०/सी० सी० ई० ए० अनुमोदन में लगे समय के कारण योजना स्कीमों में विलम्ब, भूमि तथा संबंद्ध क्षेत्रों के उत्पादों के फसल कटाई के बाद के व्यापक नुकसानों को न्यूनतम करने की तत्काल आवश्यकता, कृषि विज्ञान केन्द्रों में कुप्रबंध को रोकने की आवश्यकता, विभाग द्वारा अस्पष्ट, अति सामान्य तथा अनिर्णायक उत्तर से संबंधित और संश्लेषित दुग्ध का पता लगाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुसंधान तथा विकास सहायता को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता से संबंधित है।

कृषि मंत्रालय में समिति की सभी ग्यारह सिफारिशों पर विचार किया गया। समिति द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है तथा एक सिफारिश को छोड़कर सभी पर पहल की जा रही है जोकि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यान्वयन पर निर्भर करती है क्योंकि पदों को भरने पर प्रतिबंध लगाया गया है। डेयर/भा०कृ०अ०प० को आवंटन में बढ़ोतरी भी योजना आयोग पर निर्भर करती है। अन्य सिफारिशों पर कार्रवाई प्रक्रिया में है तथा की गई कार्रवाई के उत्तर समिति को भेज दिए गए हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, clarifications.

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान): उपसभापति जी, कृषि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो भी कमेटी की रिपोर्ट है, जिसमें ग्यारह सिफारिशें की हैं, उनके बारे में अपनी बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए अभी तक कितना धन खर्च किया है और आपके विभाग की क्या प्लानिंग हैं, इसका जवाब दें? कितना पैसा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए है, कितना खर्च होगा? ग्यारह में से एक सिफारिश है, जिसके ऊपर आप कोई कार्रवाई नहीं कर सके हैं। यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऊपर निर्भर है। यू०पी०ए० की गवर्नमेंट बनी, अगस्त महीने में एक सर्कुलर भी जारी हुआ रिक्त पदों को पदोन्नति के बाद, डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से शीघ्र भरा जाए। मैं यह जानना चाहूंगा कि आपने उन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की है, यह बताएं?

श्री कांतिलाल भूरिया: उपसभापति जी ...**(व्यवधान)**...

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): उपसभापति जी, सभी को एक बार बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति: अभी देंगे।

श्री कांतिलाल भूरिया: उपसभापति जी, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, वह राइटिंग में दे देंगे।

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): उपसभापति जी, इन कमेटी की जो भी सिफारिश होती है, स्टैण्डिंग कमेटी जो-जो सिफारिश करती है, गवर्नमेंट उसे सीरियसली लेकर इम्पिलमेंट कराए। पिछली बार किसानों ने आत्महत्या की थी, इसके बावजूद, वह करती नहीं है।

श्री उपसभापति: नहीं, वह बात नहीं है।

श्री दत्ता मेघे: इससे पहले की सिफारिशों में हुआ है। स्टैण्डिंग कमेटी का मतलब क्या है। हम लोग दो-दो साल काम करते हैं, डिटेल में जाते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति: वह क्लैरिफिकेशन है। स्टेटमेंट है।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Hon. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister has agreed to the recommendations of the Committee. Ultimately, he passed on the subject approved by the Planning Commission because ICAR and DARE and all these organisations need sufficient funds. Secondly, Sir, I come to the Krishi Vighyan kendra. In some States, they are working effectively, but in some States they are not working effectively. The most important area of concern is the money, which is being spent on the research work, the research works in progress. The application of research in the related field takes a long time -- it takes long time to reach the farmer. The Ministry has to address this issue. Why is it taking eight or nine years?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please seek the clarification.

SHRI V. NARAYANASAMY: What steps are they taking to immediately take the research to farmers as soon as the research is done and approved? Why are they taking long time? How are they going to reduce the time in sending the research to farmers so that farmers could be benefited by producing more in this country? Whether it is the Planning Commission or the Agriculture Ministry, I am not going into it.

Then, Sir, I come to R&D support, Agricultural Universities, ICAR, and all these things. ....*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One Minute, Mr. Narayanasamy. This is the report of the Ministry on the implementation of the recommendations of the Standing Committee. Now, the Ministry has said that they have

accepted so many recommendations and so many recommendations have not been accepted because of some reasons. Now, you can seek clarification. The other thing is that they have accepted the report. The only clarification you have to seek is: Which are the recommendations which have not been accepted and why have they not been accepted?

SHRI S.S. AHLUWALIA (Jharkhand): Actually, there was not a covnention of laying this report in the House. But in the presiding officers conference, it was decided to lay these reports and inform the House. They are just informing. I do not think that we need ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I feel the Minister will not be able to give all the details. It is just for information. You can seek clarification as to why out of eleven recommendations, ten are implemented and one is not implemented. On this, you can seek some information and not more than that.

SHRI V. NARAYANASAMY: The hon. Minister has to clarify about the delay in taking results of the research to the farmers. This is what I want to know.

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, यह जो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में सबमिट की थी, उस पर मंत्रालय ने क्या ऐक्शन लिया है, इस संबंध में माननीय मंत्री जी का यह वक्तव्य हमारे सामने आया है। माननीय मंत्री जी का यह कहना है कि स्टैंडिंग कमेटी ने 11 सिफारिशें की थीं, उनमें से एक को छोड़कर 10 पर कार्यवाही कर दी गई है। अब इस पूरे विवरण को पढ़ने से, इस वक्तव्य को पढ़ने से यह प्रतीत नहीं होता है कि क्या कार्यवाही कर दी गई है।

मान्यवर, स्टैंडिंग कमेटी का यह कहना था कि जो लैटिन अमरीकन देश हैं, यहां तक कि हमारा पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका है, वहां पर भी जो GDP है, उसका लगभग एक प्रतिशत कृषि के R&D पर खर्च किया जाता है। भारत में तो बहुत ही कम हिस्सा खर्च किया जाता है। यह सिफारिश की गई थी कि GDP का एक प्रतिशत कृषि के R&D पर खर्च किया जाए और उसको धीरे-धीरे बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत तक लाया जाए।

श्री उपसभापति: उन्होंने वह accept कर लिया है।

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: इस वक्तव्य से यह प्रतीत नहीं होता है कि इस पर क्या कार्यवाही हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि इस पर किस सीमा तक कार्यवाही की गई है और जो इस साल का बजट अभी प्रस्तुत हुआ है, for the year 2005-2006 उसमें आपने कृषि के R&D के लिए कितना आवंटन किया है?

श्री उपसभापति: प्रोफेसर वर्मा, चूंकि यह ए॰टी॰आर॰ रिपोर्ट कमेटी को भी जाएगी और फिर वह कमेटी उस पर विचार करेगी, इसलिए उन्होंने इतना कहा है, पार्लियामेंट को इतना मैसेज दिया है कि हमने 11 रिकमडेशंस में से 10 रिकमंडेशंस accept की हैं। This is a procedure which they are following now, as Shri Ahulwalia said, after the Presiding Officers' *recommendations.*

प्रो॰ रामबख्श सिंह वर्मा: मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया, this is just a clarification.

श्री उपसभापति: अब कमेटी वह डिस्कस करेगी।

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: सर, मेरे ख्याल से यह पहले ही बताना चाहिए था। हमारे यहां यह कनवेंसन है कि कभी भी कोई स्टेटमेंट रखा जाता है तो सदस्य क्लैरीफिकेशंस पूछते हैं। अब ए॰टी॰आर॰ पर हम क्लैरीफिकेशंस नहीं पूछेंगे, ऐसा कुछ करना था। ...**(व्यवधान)**... इसलिए फोरगो करें।

श्री उपसभापति: मैं सोचता हूं कि इसमें एक ही क्लैरीफिकेशन के लिए स्कोप है कि why a particular recommendation which has not been accepted, what are the reasons; they are giving the reasons.

PROF. R.B.S. VARMA: If it is only for the submission of the statement of the hon. Minister, then, I need not seek any clarification. But, you have given an opportunity, and that is why, I am seeking the clarification.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am only helping you to seek your clarification. If the entire Ministry is discussed, we will not be able to...

डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा (उड़ीसा): माननीय उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी से मैं कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण पूछना चाहूंगा। महोदय, कटाई के बाद जो अनाज का नुकसान हो रहा है, आपने उसे कम करने की योजना बनायी है, मैं पूछना चाहूंगा कि आनेवाले वित्तीय वर्ष में कितने गोदाम बनाए जाएंगे जिन में किसान अपना अनाज रख सकेंगे? दूसरे, ऋण के बोझ से जो किसान मरने वाले हैं क्या उनका ऋण माफ करने की कोई योजना है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is not within the scope of the statement. आप स्टेटमेंट के scope पर बात कीजिए।

डा॰ छत्रपाल सिंह लोधा: महोदय, आपने सिंथेटिक दूध के बारे प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कहा है। मैं उस के बारे में भी क्लैरीफिकेशन चाहूंगा।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): First of all, I appreciate the Ministry for this new beginning. It is a very good thing. I have only two clarifications. As Shri Ahluwalia was saying, just placing the statement on

the ATR is not enough; Members should be given the opportunity to seek clarification. That is why, a new beginning has been made for bringing this Report. Because, we were always getting this Action Taken Report, the Committees were getting the information about action taken on their recommendations. This is entirely different. The statement should come to the House and the House should also be aware as to what are the recommendations which have been implemented and which have not been implemented and the reasons therefor. Therefore, this is a good beginning and I would like to appreciate it.

My first clarification is regarding the Department of Personnel and Training. They are now putting certain restrictions. If two or more Ministries are involved, suppose there is a recommendation which is binding on more than one Ministry, then will the interaction of the Ministries come before the House? For example, in ICAR, if there is not sufficient staff, scientists and infrastructure, definitely, it will be affected. So, what is the reason for this? Number two, the last sentence, Sir, action on other recommendations are under process and the action taken replies have been sent to the Committees. What are the action taken, that we would like to know. What are the other actions that Ministry has taken? It is not mentioned here. I will read once again the last one,"The action on other recommendations are under process and the action taken replies have been sent to the Committee". The House wants to know; that is why, this statement has come. We are not aware of the action taken by the Ministry regarding ten recommendations. The other recommendation, it is clear in the statement. So, I would like to seek clarification on these two things.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Sir, it is a good beginning. But, the major problem is actually, so far as the action taken is concerned. If that aspect is not given, we have to ask for a substantive discussion on the recommendations of the Committee. As it is, the idea of this, report, I don't think, is a substantive discussion, unless we choose it here. My point is, at least, if the summary or the genesis of the recommendation, along with the action taken, is given, then it will be easier for Members to interact.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think the format has to be changed. I think it will be helpful if the recommendations as well as the action taken are provided. So, the format can be changed.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE : Secondly, Sir, one of the problems faced by the committees throughout the year is that wherever the action taken has been there, most of the actions taken -- thanks to the bureaucrats — have always been without any time-frame. I have seen certain actions taken on recommendations stating that this is under active consideration.'

First, it is under consideration. Then, it is under active consideration and so on and so forth. The time is an essence of any action taken on the recommendations. So, whenever the recommendations are made, the Action Taken Report is there, it should also mention that so far as implementing that recommendation is concerned, this is the time-frame that has been set by the Ministry.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the Minister to reply.

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय उपसभापति जी, अलग-अलग माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न किए हैं और मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं । उनमें कृषि विभाग के मामले में जानने की काफी उत्सुकता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और कृषि के ऊपर ही हमारी सारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। उपसभापति महोदय, जिस तरह से EICHER के लिए उन्होंने कहा है तो EICHER हमारे यहां एक इतनी बड़ी संस्था है, जिससे कृषि को हम किस तरह से मजबूत करें और उसमें कई प्रकार के अनुसंधान होते हैं और किस तरह से नई-नई प्रजातियां लाकर हम किसानों को दें, ताकि हमारे उत्पादन बढें, यह हमारे EICHER का मेन काम है। जिस तरह से वैज्ञानिकों की कमी बताई गई तो हमारे यहां वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। हमारे यहां वैज्ञानिक काफी हैं, कृषि के मामले में, कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी खाद्यान्न की जो समस्या है, वह दूर हो सके और उसमें हम आत्मनिर्भर बन सकें, तो उस तरफ भी हमारी पूरी-पूरी कोशिश है। उसके साथ ही हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि फसल का जो नुकसान होता है, उसको नुकसान से किस तरह बचाएं, क्योंकि हमारे देश में जब फसल खेत में होती है, तब कटाई से लेकर घर आने तक काफी नुकसान होता है। 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक हमारा नुकसान होता है। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Hon. Deputy Chairman, Sir, I would like to say that normally the ATR is discussed in the Committees. Now, since we are discussing the matter here in this House, we are creating a new convention. By this, Sir, every ATR will come over here...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine this matter. It is the first time that a statement has been laid on the ATR...*(Interruptions)*...

SHRI V. NARAYANASAMY: It should not become a precedent for everything...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will examine it and give necessary guidelines.

The House stands adjourned to meet tomorrow at 11.00 a.m.

THE HOUSE THEN ADJOURNED AT THIRTY-THREE MINUTES PAST FIVE OF THE CLOCK TILL ELEVEN OF THE CLOCK ON THURSDAY, THE 17TH MARCH, 2005.

MGIPMRND—1054RS—04-08-2005.